

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/17604

दिनांक: 17-12-2020

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका, बेगू (चित्तौडगढ) एवं नगर निगम जोधपुर - दक्षिण में न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री दिनेश कुमार मेवाडा (आर/223/2015)	नगरपालिका, बेगू (चित्तौडगढ)
2.	श्री अरिहन्त मेहता(आर/2219/2014)	नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

इन्को विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 17-12-2020

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/17605-17615

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर/जोधपुर।
05. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम जोधपुर-दक्षिण/ नगरपालिका, बेगू (चित्तौडगढ)।
06. श्री दिनेश कुमार मेवाडा, अधिवक्ता, मार्फत नगरपालिका, बेगू (चित्तौडगढ)।
07. श्री अरिहन्त मेहता, अधिवक्ता, मार्फत नगर निगम जोधपुर-दक्षिण।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी